आदिवासियों और अन्य परंपरागत वननिवासियों पर "कृषि कानूनों" के प्रभाव

सितंबर 2020 में तीन कानून पारित किया गया जिसे **"कृषि कानूनों"** के रुप में जाना जाता है। इन कानूनों का देश-भर के विभिन्न किसान और आदिवासी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों के व्यापक अध्ययन के बाद कहा जा सकता है कि यह देश-भर में खेती-बाड़ी को **कारपोरेट** (बड़े पूंजीपतियों) **के हवाले** करने में सहायक है। ये कानून अनूसूचित जनजातियों (एस.टी.) एवं पारंपरिक रुप से जंगलों में रहने वाले समुदायों (ओ.टी.एफ.डी.) के लिए पांचवीं अनुसूची व आदिवासी क्षेत्रों में लागू पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) कानून 1996 (पेसा) तथा वनाधिकार कानून, 2006 (एफ.आर.ए.) के तहत प्रदत्त अधिकारों तथा विषेष गारंटी का भी हनन करता है। अंततः, ये कानून ग्राम सभाओं की **शक्तियों व अधिकारों** को समाप्त कर देंगे। वर्ष 2020 के ये कृषि कानून **कल्याणकारी राज्य** (welfare state) की अवधारणा को वापस लेने में सहायक होगा, जहां **डिस्टीब्यूटिव जस्टिस** (distributive justice) प्रदान करने की दिशा में कल्याणकारी राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया जाता है। दिनांक **12 जनवरी 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 के तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया गया है**। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यदि या जब न्यायालय इस आदेश को हटायेगा तब भविष्य में इन कानूनों को लागू नहीं किया जायेगा।

*ऐतिहासिक रुप से ब्रिटिष-राज के जमिंदारी प्रणाली के दौरान अधिकतम टैक्स एवं राजस्व नीति ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया तथा उनकी जमीनें चली गयीं। इसके फलस्वरुप **संथालों द्वारा हुल** तथा **मुंडाओं द्वारा उलगुलान** जैसे कई आदिवासी विद्रोह हुए।*

कान्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून

किसान (सश्क्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, 2020

यह कानून कहता है कि: कृषि सेवा व कृषि उपज की बिक्री के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों (agri-business firm), प्रोसेसर कंपनियों, थोक व्यापारियों, निर्यात एजेंसियों अथवा बड़े खुदरा व्यवसायियों के साथ सुरक्षित तरीके से "परस्पर सहमति आधारित मूल्य" (mutually agreed price) किसानों को निष्पक्ष व पारदर्षी तरीके से प्रदान करना।

इसका मतलब क्या है: खेती उपज के मूल्य निर्धारण, और विपणन तथा खरीद और बिक्री के तरीकों व अभ्यास पर **निजी कंपनियों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना**।

- **छत्तिसगढ़** तथा **उड़िसा** में जट्रोफा (बायोफ्यूल), गन्ना तथा कपास जैसे नगदी फसलों का कान्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्ष **2000 के आस-पास** शुरुआत किया गया है। इसने कमजोर आदिवासी किसानों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया है।
- पांचवी अनुसूची में शामिल सभी राज्यों में छोटे और सिमांत अनुसूचित जनजातियों के किसान 71 से 91 % तक है। छोटे और सिमांत किसानों तथा बड़े कृषि व्यावसायी फर्मों/ खुदरा व्यवसायी/ निर्यातकों के बीच शक्ति असंतुलन बहुत अधिक है। इस कानून के परिणाम स्वरुप कम संसाधनों वाले किसानों और कारपोरेट के बीच **मोल-भाव की असमानता** उत्पन्न होगी क्योंकि किसानों के बीच बाजार की शक्तियों और **वैष्विक खाद्य श्रृंखला** प्रणाली की जानकारी नहीं होती है।
- **सहूकारी का नया स्वरूप:** वैष्विक स्तर पर कृषि व्यावसायिक फर्मों द्वारा जो कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेती में निवेष करते हैं तथा कृषि उत्पादों का खरीद करते हैं वे जमानत के रुप में जमीन की गारंटी पर किसानों को कर्ज भी देते हैं। कृषि कानून इस तरह के अभ्यास को प्रोत्साहित करेगा, आदिवासियों को **कर्ज के जाल में फांसेगा** इसके परिणाम स्वरुप **कारपोरेट** द्वारा **जमीनें हड़पी जायेंगी**।

कृषि बाजारों / मंडियों / हाटों का निजीकरण

किसानों के उत्पादों का व्यापार तथा वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं फैसिलीटेशन) कानून, 2020

यह क्या कहता है:

- वैकल्पिक व्यापार (alternative trading) चैनल का विकास जैसे इलेक्ट्रानिक व्यापार मंच, प्रभावी, पारदर्षी तथा बाधा रहित व्यापार व वाणिज्य को प्रोत्साहित करने की बात करता है।
- कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बाजारों के दायरे में लाना जहां किसान और व्यापारी मुक्त व्यापार में संलग्न हो सकते हैं।
- किसी भी व्यक्ति / निगम को कृषि उत्पादों के व्यापार का अधिकार देता है।
- कोई भी व्यक्ति अपने पैन नम्बर के आधार पर ई-ट्रेडिंग प्लैटफार्म बना सकता है।
- ए.पी.एम.सी. कानून या राज्य के किसी कानून के तहत इन ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर कोई **बाजार शुल्क नहीं वसूला जा सकता है**।

इसका मतलब क्या है:

- कृषि **निर्वाह** (subsistence agriculture) की एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें भूख की संतुष्टी और पोषण सुनिष्चित किया जाता है। उसे ये कानून **वाणिज्यिक व प्रतिपर्धी व्यापार** (commercial and competitive trade) में परिवर्तित करता है।
- कृषि बाजार को अविनियमित करना, खाद्य सामग्रियों के लिए स्थानीय और वैष्विक व्यापार श्रृंखला का खोलना, पूर्णतः खुले बाजार की दया पर निर्भरता, कृषि का आधुनिकीकरण।

क्या "न्याय तक पहुंच" (access to justice) खतरे में है?

- कान्ट्रैक्ट फार्मिंग तथा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिजय कानून - ये दोनों किसानों का कंपनियों / ठेकेदारों के साथ विवाद पर न्यायालय जाने के अधिकार को सीमित करते है।
- न्यायालय के स्थान पर **अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.)** द्वारा गठित **कनशिलियेशन बोर्ड** के माध्यम से विवादों को निपटाने का प्रावधान करता है।

अनुचित व्यापार (Unfair trading) के कारण स्थानीय हाट की अस्थिरता

- पारंपरिक ग्रामीण हाट एवं ग्रामीण बाजार असुरक्षित होंगे।

- **पेसा** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले संसाधनों के प्रशासन, अपनी मान्यताओं व परंपराओं की सुरक्षा तथा **प्रथा के अनुसार** विवादों का समाधान करने की **ग्राम-सभा की शक्तियों का उल्लंघन** करता है।
- छोटे जल निकायों या आदिवासी जमीनों के हड़प जैसे मामलों में अतिरिक्त वैधानिक सुरक्षा लागू करने और न्यायिक उपचार (legal remedy) की शक्तियों को भी नये कृषि कानून नजर अंदाज करते हैं।
- कुछ विवाद एस.सी./एस.टी. पर ''अत्याचार'' के हो सकते हैं। इस तरह के मामलों का अपराधिक न्यायालय की जगह एस.डी.एम. द्वारा निपटाना बेतुका है।
- निजी और इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मों के आक्रामक प्रचार से मंडियों और ग्रामीण हाटों का विघटन होगा।
- यह **अनुचित व्यापार** (unfair trade practices) को बढ़ायेगा जैसे व्यवसायी समूह एवं कुछ निजी कंपनियों के एकाधिकार (monopoly), बाजार मूल्य (market price) को अस्थिर करना।

खाद्य असुरक्षा के लिए कानून

आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020

<u>यह क्या कहता है:</u>

- आवश्यक वस्तु कानून, 1955 को संशोधित किया गया है ताकि अनाज, दालें, आलू, प्याज, तिलहन एवं तेल शामिल हैं या सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य चीजों सहित खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों - युद्ध, **अकाल,** असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसे **गंभीर परिस्थितियों** में ही विनियमित किया जायेगा।
- बगवानी उत्पाद के खुदरा मूल्य में **100 प्रतिशत** की वृद्धि तथा जल्द खराब होने कृषि उत्पादों का **50 प्रतिशत** की वृद्धि होने पर ही उन वस्तुओं के जमाखोरी पर **प्रतिबंध** किया जाएगा।
- प्रोसेसर / मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों (value chain processors) के लिए **संग्रहण की सीमा में छूट होगा** यदि भण्डारण सीमा प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता या निर्यातक द्वारा निर्यात की मांग से अधिक नहीं है।

<u>इसका मतलब क्या है:</u>

- भूमिहीन कामगार वर्ग तथा गरीब जनता **120 सालों** की अंग्रजी-राज्य के दौरान **31 अकालों** का सामना किया। ये संशोधन आवश्यक वस्तु कानून 1955 को पंगू करेगा

जिसे आजादी के बाद भारत में **मानव निर्मित अकालों को रोकने** के लिए लागू किया गया था।

- मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को दी गई **जमाखोरी की छूट** के कारण उत्पन्न खाद्य सामग्रियों की कृत्रिम कमी से मूल्य में वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षा एवं जनवितरण प्रणाली (PDS) प्रणाली की तबाही

- **आवश्यक एवं प्रमुख खाद्य वस्तुओं** को अविनियमित (deregulated) किया गया तथा **वाणिज्यिक रुप से उपयोग किया जा सकने वाले वस्तु में बदल दिया गया**।
- बाजार गतिविधियों जैसे बिक्री, खरीद, मूल्य संवर्धन, भण्डारण एवं निर्यात आदि के अविनियमीकरण से **जनवितरण प्रणाली** (PDS) कमजोर होगा और अंततः समाप्त हो जाएगा।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013** के द्वारा पहले ही **ए.पी.एल.** परिवारों को पी.डी.एस. के अधिकारों से बाहर किया जा चुका है भले ही वे कुपोषण के कगार पर हों। खाद्य सुरक्षा का दायरा केवल **बी.पी.एल.** परिवारों तक ही सीमित है।
- अन्य शर्तें जैसे - **आधार लिंकेज** (AADHAAR linkage) का अनिवार्य होना कई **बी.पी.एल.** परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर करेगा।
- कुछ क्षेत्रों में **पी.डी.एस.** को सीधे **नगद हस्तांतरण** (direct cash transfer) मे बदलने का अभियान पहले से ही चल रहा है, जिससे **पोषण सुरक्षा** (nutritional security) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत भर में 42% आदिवासी बच्चे कम वजन वाले हैं, जबकि 77% आदिवासी बच्चे और 65% आदिवासी महिलायें (15-49) वर्ष तक अरक्तता (खून की कमी) के शिकार हैं।
- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के मुद्रास्फीतीय परिणाम पहले से ही मौजूद अन्य नीतियों के साथ मिलकर गंभीर पोषण संकट का सामना कर रहे आर्थिक रुप से कमजोर, वंचित कामगार आदिवासियों के **भोजन के अधिकार** का **हनन** करेगा।
- इन कानूनों के लागू होने से आदिवासियों और जंगल में रहनेवाले लोगों के **सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार** का **हनन** होगा।

क्या ये कानून पेसा और वन अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान किये गये संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा ?

ये कृषि कानून आदिवासियों और जंगलों में रहनेवाले समुदायों के संविधान के **अनुच्छेद 14** व **15(4)** [बराबरी का अधिकार तथा भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार], **अनुच्छेद 19(1)(क)** [अपने पसंद का पेशा चुनने का अधिकार]] तथा **अनुच्छेद 21** [सम्मानपूर्वक जीवन जीने तथा आजीविका का अधिकार] के अंतर्गत प्रदत्त **मौलिक अधिकारों** का **हनन** करनेवाले हैं। ये भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 244**, **पांचवीं अनुसूची**] तथा **पेसा** तथा **वन अधिकार कानून** जैसे विशेष कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेष सुरक्षा के प्रावधानों का भी हनन करता है।

पेसा कानून का हनन

- *ग्रामसभा की शक्तियों को कम करना:* ऐसे वातावरण में जहां बड़े कृषि&व्यवसायियों (agri-business firm) तथा निगमों को अनुबंध आधारित खेती करने और कर्ज देने की अनुमति है] यह आदिवासी समुदायों जमीन छीनने अथवा कर्ज के जाल में फंसने से बचाव के संदर्भ में कमजोर और असुरक्षित करता है।
- *गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे - जनवितरण प्रणाली पर ग्राम सभा का नियंत्रण समाप्त करना:* यहां तक कि आवश्यक व प्रमुख खाद्य वस्तुओं के भण्डारण सीमा एवं बाजार के रुझानों के अनुरुप खाद्य पदार्थों के मूल्य में उतार&चढ़ाव को वैधानिक नियंत्रण (statutory prohibition) से मुक्त कर दिया गया है। इससे पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में अभूतपूर्व खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी।
- *स्थानीय ग्रामीण बाजारों / हाटों के प्रबंधन की ग्रामसभा की शक्तियों में कमी:* कृषि और खाद्य प्रसंस्करण बाजार में निजी कंपनियों के प्रवेश से स्थानीय बाजारों तथा वहां के मूल्यों पर ग्रामसभा का नियंत्रण में कमी होगा।
- *ग्रामसभायें विवाद निपटारे की अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर हो जायेंगे:* चुंकि कृषि कानूनों में एस.डी.एम. द्वारा गठित सुलह समितियों द्वारा कृषि अनुबंधों और प्रोसेज से संबंधित विवादों के निपटारे का प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरुप, समय के साथ-साथ पेसा के उद्देष्यों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में प्रषासन की ग्रामसभाओं की केन्द्रियता कम होगी और अंततः समाप्त हो जाएगी।

वनाधिकार कानून का उलंघन

- *भूस्वामित्व (जल, जंगल, जमीन) के लिए खतरा:* कान्ट्रैक्ट आधारित खेती, बड़े कृषि-व्यावसायिकों द्वारा कर्ज देना तथा कृषि उपज का वाणिज्यीकरण को लागू करने से वनाधिकार कानून के तहत जंगलों में रहनेवाले समुदायों की भूमि पर अधिकारों की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।
- *सामूहिक भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध:* नये कृषि कानूनों के अंतर्गत जब कान्ट्रैक्ट खेती तथा फसलों के वाणिज्यीकरण के तहत ज्यादा से ज्यादा जमीनों को खरीदा जाएगा, समुदायों का सामुदायिक वनभूमि पर निस्तार अधिकार तथा चराई का अधिकार जैसे अधिकार समाप्त हो जायेंगे।
- *पी.वी.जी.टी. (PVTG) तथा उनके रहवास (habitat) का अधिकार बाजार की शक्तियों के लिए आसान लक्ष्य है:* विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (particularly vulnerable tribal group) अपने वनाधिकार खासकर रहवास का अधिकार (habitat rights) पर शक्तिशाली कृषि व्यवसाय संस्थाओं तथा बाजार के अदृष्य हमलों (invisible hand of the market) का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे।
- *सामूहिक वन संसाधनों (CFR) के संरक्षण में ग्रामसभाओं की भूमिका में कमी:* जंगल व उसके संसाधनों की सुरक्षा करने, पुनर्जीवित करने (regenerate), प्रबंधन (manage) करने तथा संरक्षण (conserve) करने के ग्रामसभाओं की शक्तियो को पहले ही संबंधित विभागों जैसे वनविभाग द्वारा कम किया जाता रहा है वह समाप्त हो जाएगा।

हमें क्या करना चाहिए ?

- **2020 के तीनों कृषि कानूनों** को **रद्द करने की मांग** करना।
- **पांचवीं अनुसूची के पारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा अपने संबंधित राज्यों में 2020 के तीनों कृषि कानूनों पर प्रतिबंध लगाने** की मांग करना।
- पेसा को **प्रभावी तरीके से लागू करने** का मांगः
  (1) **ग्रामसभाओं के सशक्तिकरण** के द्वारा स्थानीय बाजारों/ हाटों तथा कृषि उपज के **मूल्य पर नियंत्रण**।
  (2) कृषि उपज एवं एम.एफ.पी. के लिए **सरकारी खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य** (MSP) की गारंटी के द्वारा।

(3) **जनवितरण प्रणाली** (PDS) के सषक्तिकरण के द्वारा।

(4) वनभूमि पर किसी भी विकास कार्य करने से पहले ग्रामसभाओं की मंजूरी की अनिवार्यता से संबंधित नीलगिरी जजमेंट को सख्ती से लागू करने के द्वारा।

- भूहस्तांतरण के रोकथाम से संबंधित कानूनों तथा पेसा के तहत स्वीकृति के अधिकार का **प्रभावी क्रियान्वयन** के माध्यम से **भूसंपत्ति सुरक्षा की मांग** करना।
- अगर ग्राम सभाओं को कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर कोई आपत्ति हो तो वह **प्रस्ताव पारित** कर एस.एल.एम.सी. (SLMC), डी.एल.सी. (DLC), जिला पदाधिकारी (District Collector) तथा टी.ए.-आई.टी.डी.ए. (TA-ITDA) को अपनी शिकायत कर सकती है। अगर एस.सी./एस.टी. अत्याचार कानून का उलंघन हो तो ग्राम सभा फौजदारी न्यायालय में भी शिकायत कर सकती है।

किसान

तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं,

अब जो आ ही गए हैं तो यह भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं,
तुम से पहले भी जाबिर कई आए थे, तुम से पहले भी शातिर कई आए थे,
तुम से पहले भी ताजिर कई आए थे, तुम से पहले भी रहज़न कई आए थे,
जिन की कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन, बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें,
उन की क़िस्मत में भी हार ही हार थी, और तुम्हारा मुक़द्दर भी बस हार है,
तुम जो गद्दी पे बैठे, ख़ुदा बन गए, तुम ने सोचा के तुम आज भगवान हो,
तुम को किस ने दिया था ये हक़, ख़ून से सब की क़िस्मत लिखो, और लिखते रहो,

सर-ब-कफ़, अपने हाथों में परचम लिए, सारी तहज़ीब-ए-इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है,
हाकिमों जान लो, तानाशाहों सुनो, अपनी क़िस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब,
काले क़ानून का जो कफ़न लाए हो, धज्जियाँ उस की बिखरी हैं चारों तरफ़,
इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, आने वाले ज़माने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा।

तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं।

----- *गौहर रज़ा*

लड़ेंगे, जीतेंगे!
लड़े हैं, जीते हैं!